



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-29052026-272948  
CG-OR-E-29052026-272948

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2581]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2581]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व तट रेलवे)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 27 मई, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A के तहत सूचना

का.आ. 2674(अ) — रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसकेबाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य में झारसुगुडा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, पूर्वी तट रेलवे के "झारसुगुडा से सासन तक (64 किमी) तक तीसरी और चौथी लाइन" का निर्माण के लिए आवश्यक है। एतद द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठाएं।

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झारसुगुडा, जिला – झारसुगुडा के, झारसुगुडा – सासन तीसरी और चौथी लाइन के भूमि अधिग्रहण के लिए। जिला – झारसुगुडा राज्य – ओडीशा को लिखित रूप में की जाएगी, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनकर और ऐसी आगे की जांच करनेके बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर देता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि की योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

ओडिशा राज्य में झारसुगुडा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, पूर्वी तट रेलवे के “झारसुगुडा से सासन तक (64 किमी) तक तीसरी और चौथी लाइन” का निर्माण, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम – झारसुगुडा

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा/ प्लॉट नं	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
1	झारसुगुडा यूनिट नं.- 7 - सरबाहाल	466/3094	613	0.022	0.022	घरबारी एक	नीजी
2			614	0.026	0.026	घरबारी एक	नीजी
3	झारसुगुडा यूनिट नं.- 7 - सरबाहाल	466/3093	613/8841	0.024	0.024	घरबारी एक	नीजी
4			614/8842	0.024	0.024	घरबारी एक	नीजी
<b>कुल =</b>				<b>0.096</b>	<b>0.096</b>		
क्रमिक संख्या	गाँव का नाम		अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)				
1	झारसुगुडा यूनिट नं.- 7 - सरबाहाल		0.096				
	<b>कुल =</b>		<b>0.096</b>				

[फा.सं. CE/CON/IV/BBS/JSG-SSN 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup>/Sarbahal/1<sup>st</sup> Phase/20A]

एच. अनंतरमन, मुख्य अभियंता (निर्माण -II)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(East Coast Railway)****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 27th May, 2026

**Notice under Section 20A of the Railways Act-1989**

**S.O. 2674(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Construction of “**3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> line from Jharsuguda to Sason (64 Km)**” of East Coast Railway in the district of Jharsuguda in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Land Acquisition Officer, Jharsuguda of State–Odisha for Land acquisition of “Jharsuguda – Sason 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> line”. in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for the Special Railway Project, namely, Construction of “3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> line from Jharsuguda to Sason (64 Km)” of East Coast Railway in District Jharsuguda in the state of Odisha.**

**Name of District: Jharsuguda**

SI No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	To be Acquired Area (In Acre)	Kisam of Land	Type of Land
1	Jharsuguda Unit No.- 7 - Sarbahal	466/3094	613	0.022	0.022	Gharabari Eka	Private
2			614	0.026	0.026	Gharabari Eka	Private
3	Jharsuguda Unit No.- 7 - Sarbahal	466/3093	613/8841	0.024	0.024	Gharabari Eka	Private
4			614/8842	0.024	0.024	Gharabari Eka	Private
<b>Total =</b>				<b>0.096</b>	<b>0.096</b>		
SI No	Name of Village		To be Acquired Area (In Acre)				
1	Jharsuguda Unit No.- 7 - Sarbahal		0.096				
	<b>Total =</b>		<b>0.096</b>				

[F. No.: CE/CON/IV/BBS/JSG-SSN 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup>/Sarbahal/1<sup>st</sup> Phase/20A]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con-II)